

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१८

उज्जैन एच. प्रिवी

H.E. 23-11

2. वर्तमान धारित पद

अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उर सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

3. वर्तमान वेतन

3980/-

2018-17

(1) उस जिले, उप संभाग, ता.ब्लॉक तथा ग्राम का नाम, जिसमें रुपति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		(3) भूमि	(4) **वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
S-1011 नरेशगढ़ अजमेर	गृह	-	89-24000/-	वै.वि.	HDFC बैंक से एलनलैब विरासत (14.16)	-	-	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य उतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा-पत्र भर कर प्रभुत्व को और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर
 नाम
 पद
 दिनांक

उज्जैन एच. प्रिवी
 H.E. 23-11
 2018-17